"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2005—आषाढ़ 31, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

क्र./ई 1-2/2005/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री अमृता सोनी	सहायक कलेक्टर, बस्तर	अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल	सहायक कलेक्टर, सरगुजा	अनुविभागीय अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
3.	सुश्री रीना बाबासाहेब कांगले	सहायक कलेक्टर, दुर्ग	अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला कोरबा
4.	सुश्री रितु सेन	सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	अनुविभागीय अधिकारी, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

3. सुश्री रितु सेन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. रोहित यादव, अनुविभागीय अधिकारी, दन्तेवाड़ा के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 14-2/04/1-8.—श्री जयसिंह म्हस्के, (भा.व.से.) स्थानापन्न संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय तथा पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-06-2005 द्वारा श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 29-06-2005 से 08-07-2005 तक (10 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 04-07-2005 से 08-07-2005 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09 एवं 10-07-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

क्रमांक/ई 04-07/2005/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-06-2005 द्वारा श्री जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 04 जुलाई 2005 से 08 जुलाई 2005 तक आई. आई. एम. ए. अहमदाबाद में आयोजित प्रशिक्षण हेतु नियोजित किया गया है. श्री मिश्रा के प्रशिक्षण अवधि में कलेक्टर, राजनांदगांव का प्रभार श्री के. पी. सिंह, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक 608/1429/2005/1-8/स्था.—श्री के. आर. बर्मन, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 02-06-2005 से 04-06-2005 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 05 जून 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. बर्मन को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. बर्मन अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक 610 /1467/2005/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 28-03-2005 से 23-04-2005 तक 27 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 25, 26, 27 मार्च 2005 एवं 24 अप्रैल, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जाती तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 14-2/2003/(6)/11.—राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 में घोषित रियायतों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गयी है :—

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (2), दिनांक 7/6/2003. — छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2001

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (3), दिनांक 7/6/2003. — छत्तीसगढ़ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001

3.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (4), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिये मार्जिन मनी नियम 2001.
4.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (5), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण नियम 2001
5.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (6), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम 2001
6.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (7), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2001.
7.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (8), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचनात्मक सहायता नियम 2001
8.	अधिसूचना क्रमांक एफ 14-2/03/(6)/11- (9), दिनांक 7/6/2003	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2001

2. उपरोक्त अधिसूचनाओं में जहां शब्द ''उद्योग आयुक्त'' प्रयुक्त हुआ है वहां उद्योग आयुक्त के स्थान पर शब्द ''उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2005

क्रमांक 3782.—राज्य शासन द्वारा रायपुर जिले के तिल्दा विकास खण्ड के ग्राम मूरा के समीप बगोली स्थित 2592 हेक्टेयर सिंच[illegible] क्षमता हेतु वर्ष 1909 में निर्मित ''पेण्ड्रावन जलाशय'' का नाम परिवर्तन कर ''पंडित लखन लाल मिश्रा जलाशय'' किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 9-12/दो-गृह/2005.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 27 जनवरी 2005 को प्रश्न पत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
1.	श्री एम. एस. ठाकुर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्च स्तर
2.	श्री एस. आर. सोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्न स्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 4-72/32/आ. पर्या./05.—राज्य सरकार एतद्द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्र.-6) की धारा 4 (2) (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री अनिल शर्मा, मुख्य अभियंता, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 27 अप्रैल 2005

क्रमांक 2738 /भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	डुमरिया	0.34	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग अम्बिकापुर (सरगुजा).	डुमरिया-शिवप्रसाद नगर-गंगोटी मार्ग पर गोबरी नाला सेतु पहुंच मार्ग के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमीर अली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 जुलाई 2005

क्रमांक 976 /ले.पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	मोंहदीपाट प. ह. नं. 02	0.02	कार्यपालन यंत्री खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोंहदीपाट परियोजना के अंतर्गत गब्दी माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 जुलाई 2005

क्रमांक 978 /ले.पा./2005/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	भिलाई प. ह. नं. 7	1.78	कार्यपालन यंत्री खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग दुर्ग (छ.ग.)	खरखरा मोंहदीपाट परियोजना के अंतर्गत भिलाई सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2005

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 17-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुल्लू प. ह. नं. 41/47	0.30	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2005

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 16-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुदगुदा प. ह. नं. 57	0.51	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2005

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 18-अ 82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रानीसागर प. ह. नं. 51	0.44	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव आगमेन्टेशन (व्यपवर्तन) योजना के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक 2454 /अ.वि.अ./भू.अ./प्र.क्र.10/ अ-82/वर्ष 2003-04.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-टण्डवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
425/2	0.113
योग	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोत वितरक शाखा नहर के जोत माइनर क्र.-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 जुलाई 2005

क्रमांक 1100/ भू-अर्जन प्र. क्र. 16/A82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सकरतुंगा, प. ह. नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.346 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1, 24/1	0.069
30/3	0.032
22/3	0.162
21	0.162
30/2	0.056
155/1	0.134
158	0.085
160/3	0.069
162/1	0.032
191/1	0.020
191/6	0.020
192/2	0.036
516/4	0.065
192/3	0.045
192/4	0.045
516/1	0.056
495, 496	0.008
502	0.056
561/1	0.069

(1)	(2)
191/3	0.069
499/2	0.116
558	0.040
560/1	0.045
566/1	0.061
540/6	0.061
515/5	0.049
568/1	0.061
541	0.290
553/6	0.045
516/5	0.045
499/1	0.045
23/2	0.008
498	0.012
498	0.092
494	0.024
520/6	0.081
516/3	0.016
516/2	0.105
योग	2.346

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-किंकारी जलाशय बायीं तट नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.